

प्रेस नोट

थाना गम्भीरपुर

अवैध तमंचा-कारतूस व मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 01/04/2024 को 30नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा ग्राम चिउटहीं से अभियुक्त रुमान शेख पुत्र स्व0 शाह आलम निवासी ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल (स्पेन्डर UP 50 CQ 8565) के साथ समय करीब 07.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-102/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - रुमान शेख पुत्र स्व0 शाह आलम नि0 ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-102/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:—

- मु0अ0सं0-102/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0-27/2020 धारा-411/414 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0-278/2022 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0-213/2023 धारा-4 वन संरक्षण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद व 01 अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 30नि0 अनुपम जायसवाल, हे0का0 जीता यादव, का0 देवव्रत यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सुनील यादव पुत्र सिधारी यादव सा0 मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर वादिनी से पचास हजार रूपया ले लिया तथा वादिनी के साथ दुष्कर्म करके आपत्तिजनक फोटो वादिनी के पति को भेज दिया तथा व फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 78/24 धारा 376/504/506 IPC पंजिकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर शशिचन्द्र चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र सिधारी यादव सा0 मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को भैरोदासपुर पुलिया से समय करीब 09.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 78/24 धारा 376/504/506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- अभियुक्त सुनील यादव पुत्र सिधारी यादव सा0 मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, का0 विजय कुमार का0 रोहित साहू का0 अजीत यादव, म0आ0 गुड़िया यादव, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर

82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

दिनांक 28.03.2024 को आरक्षी मुरलीधर पटेल थाना फूलपुर व आरक्षी मो0 आजाद अंसारी थाना बारानगर जनपद 24 परगना उत्तर, पश्चिम बंगाल द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 60/2022 धारा 60(A) आबकारी अधि0 व 272/273/34/302 भादवि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त जोयनता कुमार मित्रा पुत्र जे0आर0 मित्रा उर्फ डाक्टर नील मोनी निवासी मकान नं0 71/5 डा0 निलमोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद, 24 परगना उत्तर, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध मा.न्यायालय से

निर्गत 82 सीआरपीसी की नोटिस का तामिला हेतु अभियुक्त जोयनता कुमार मित्रा पुत्र जे0आर0 मित्रा उर्फ डाक्टर नील मोनी निवासी मकान नं0 71/5 डा0 निलमोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद, 24 परगना उत्तर, पश्चिम बंगाल के घर दबिश देकर एवं डुगडुगी बजवाते हुए सहज स्थान पर 82 सीआरपीसी की नोटिस को चस्पा किया गया।